आर.सी.एम.एस. नम्बर 2021/81

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 46/2021 (भंवरदान वगैरह बनाम हनुमानदान वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 07.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, चन्द्र प्रकाश वर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.08.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम खिचड़ों का बास स्थित भूमि ख0न0 171, 158, 243/157, 244/193 कुल किता 4 कुल रकबा 4.49 है0 भूमि का नन्ददान पुत्र मेघदान द्वारा हनुमानदान व मनोज कुमार के पक्ष में अपने हिस्से 3.383 है0 से अधिक भूमि का उपहार पत्र करणीदान पुत्र मेघदान व अमरदान पुत्र मेघदान के हक हिस्से की अतिरिक्त 1.10 है0 भूमि तक शून्य घोषित किया जाता है। ख0न0 171, 158, 243/157, 244/193 कुल किता 4 कुल रकबा 4.49 है0 भूमि में नन्ददान पुत्र मेघदान द्वारा उपहार पत्र के बाद हनुमानदान व मनोज कुमार के नाम दर्ज भूमि एवं हनुमानदान के देहान्त हो जाने के बाद उसके वारिसान के हिस्से में दर्ज अतिरिक्त भूमि 1.10 है0 में से 0.99 है0 भूमि करणीदान पुत्र मेघदान के वारिसान वादीगण 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 3 तथा 0.11 है0 भूमि अमरदान पुत्र मेघदान के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 07.08.2024 को जारी की गई।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर